तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 141/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/269) बअनवान गंगाराम बनाम अन्नाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

गंगाराम व अन्य

बनाम

अन्नाराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री उम्मेदसिंह बावरला अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 08

<u>आदेश</u>

दिनांक 20.01.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2021 अनवान गंगाराम व अन्य बनाम अन्नाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 अगस्त 2021 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 05 अगस्त 2021 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 14/1 रकबा 11.3312 हैक्टेयर ग्राम खेतासर तहसील औसियां अपीलांट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है तथा मौके पर अपीलांट्स का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के पिता खींयाराम द्वारा वादग्रस्त आराजी का रेस्पोडेंट एक व रेस्पोडेंट संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 141/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/269) बअनवान गंगाराम बनाम अन्नाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	दो से सात के पिता मानाराम एवं सुगनाराम को कभी बेचान नहीं किया है। रेस्पोडेंट्स के पिता ने मिलकर फर्जी एवं कूटरचित बेचाननामा जो विधि एवं कानून के विपरीत है, तैयार करवाकर वादग्रसत आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली। उक्त बेचाननामा कानून के विपरीत होने से शुरूआत से ही अपीलांट के हक व अधिकारों के विरूद्ध शुन्य एवं निष्प्रभावी है। अपीलांट अनुसूचित जाति जनजाति भील जाति के व्यक्ति है, जबकि रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति मेघवाल जाति के व्यक्ति है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि मात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को द्वारा ही खरीद की जा सकती है। अन्य किसी गैर अनुसूचित जनजानति के व्यक्तियों को किसी भी तरीके से हस्तांतरण, बेचान, इत्यादि नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किया गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इंकार कर दिया गया।ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे। जवाब में रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। कानूनन रेकर्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध होने से पोषणीय नहीं होने से तथा सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अधतन जमाबंदी ग्राम खेतासर के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 14/1 रकबा 11.3312 हैक्टेयर रेस्पोडेंट्स के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 42 के मुताबिक अनुसूचित जनजाति से अनुसूचित जाति के मध्य किया गया वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण कानूनन प्रतिबंधित एवं विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी खुर्द-बुर्द न हो तथा तृतीय पक्ष को स्थानांतरित न हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को न्याय हित में संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नही ठहरता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 अगस्त 2021 को अपास्त किया जाता है तथा मामला विचारण न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 141/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/269) बअनवान गंगाराम बनाम अन्नाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उक्त ऑब्जर्वेशन के परिप्रेक्ष्य में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। तब तक रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजीयात का <u>बेचान/हस्तांतरण</u> नहीं करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। (ओमप्रकाश विश्नोई) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	